अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-668/नौ-5-2016-83सा/2009टीसी

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
नगरीय परिवहन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 09 मार्च 2016

विषयः मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19.01.2016 को सम्पन्न समर्पित नगरीय परिवहन निधि प्रबन्ध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में बस क्रय हेतु खाते में उपलब्ध धनराशि रू0 8.00 करोड़ का उपयोग घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया वित्त नियंत्रक, नगरीय परिवहन निदेशालय के पत्र संख्या-53यूडीटी/16-6(1)/यूडीटी/15, दिनांक 03.03.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-19/2015/350/नौ-5-15-83सा/2009 टीसी, दिनांक 18.02.2015 में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19.01.2016 को सम्पन्न समर्पित नगरीय परिवहन निधि प्रबन्ध समिति की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 15.02.2016 के परिप्रेक्ष्य में संशोधन का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के परिप्रेक्ष्य में प्रबन्ध समिति द्वारा निम्नांकित संस्तुति की गई है-

"रू0 800.00 लाख घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु आवंटित किया गया है। यह धनराशि बस क्रय करने के मद में उपलब्ध धनराशि से समायोजित की जायेगी। बसों का क्रय नहीं किया जायेगा।"

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 19.01.2016 को सम्पन्न समर्पित नगरीय परिवहन निधि प्रबन्ध समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार त्वरित अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें। शासनादेश संख्या-19/2015/350/नौ-5-15-83सा/2009टीसी दिनांक 18.02.2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-668(1)/नौ-5-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सहायक निदेशक (लेखा)/वित्त नियंत्रक, नगर निकाय, उ0प्र0।
4- प्रबन्ध निदेशक, सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, लखनऊ।
5- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।